email_id : dcourtkhd-mp@nic.in Phone No. : 0733-2921001

कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड, खंडवा (म0प्र0)

–:: विविध आदेश ::–
(अतिरिक्त)

क्रमांक: 72/को.वा./2020 खंडवा, दिनांक 01 जून, 2021

विषय :– आज दिनांक 1 जून 2021 से 15 जून 2021 तक न्यायालयों में होने वाली सुनवाई बाबत् जारी विविध आदेश क्रमांक 71 दिनांक 31.05.2021.

......000.......

विषयांकित आदेश अनुसार न्यायालयीन कार्य संपन्न करने हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त निर्देश–आदेश जारी किये जाते हैं कि :–

(1) किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित मामलों की सुनवाई निर्धारित दिनांक व समय पर प्रधान मजिस्ट्रेट के द्वारा कोविड–19 के संक्रमण से सुरक्षा के सभी उपाय करते हुए की जावेगी, यदि आवागमन की सुविधा सामान्य हो जाती है।

(2) लंबित प्रत्येक प्रारंभिक जॉच/विभागीय जॉच कार्यवाही को भी प्राथमिकता से पूरा किया जावेगा।

(3) इस समय ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि में न्यायालयीन कर्मचारीगण अवकाश पर हैं, यह ग्रीष्मकालीन अवकाश का अंतिम सप्ताह है इसलिए ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद प्रत्येक न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश द्वारा स्व–विवेकानुसार न्यायालयीन भृत्य, स्टेनोग्राफर, साक्ष्य लेखक को छोड़कर शेष कर्मचारीगण जैसे–प्रस्तुतकार सिविल/आपराधिक (प्रवर्तन लिपिक), आदेशिका लेखक में से आधे कर्मचारियों को ही प्रत्येक कार्य दिवस में अपनी सुविधानुसार कार्य के निष्पादन हेतु विकल्प का प्रयोग करते हुए बुलाया जावेगा (यह व्यवस्था तब तक प्रभावशील रखी जावेगी, जब तक राज्य शासन का आदेश जिला खंडवा के लिए पचास प्रतिशत कर्मचारियों के साथ शासकीय कार्य का संपादन किये जाने विषयक प्रभावशील रहता है)।

(4) ऐसे दांडिक मामलों के अभियोगपत्र/परिवादपत्र तथा सिविल वाद प्रस्तुत किये जा सकेंगे, जिनमें विधि द्वारा निर्धारित समयावधि समाप्त हो रही हो (धारा 167 दं.प्र.सं. की परिधि में आने वाले प्रकरण भी इसमें शामिल हैं); प्रत्येक कार्य दिवस में ऐसे मामले अधिकतम 02:00 बजे तक ही पेश किये जा सकेंगे।

(5) किसी न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश द्वारा यदि यह महसूस किया जाए कि उनके द्वारा सुनवाई हेतु नियत मामलों की संख्या अत्यंत ही कम है तो वे सुविधानुसार कुछ अधिक मामले प्रत्येक कार्य दिवस में नियत कर सकेंगे; किन्तु फिर भी अनावश्यक भीड़ ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे।

(6) दिनांक 31.05.2021 को जारी उक्त विविध आदेश, इस आदेश में दर्शाये गये मामलों को छोड़कर पूर्व से नियत अन्य सभी प्रकार के मामले सुनवाई हेतु ऐसे न्यायालय की सुविधानुसार आगामी कार्यवाही हेतु आगे नियत किये जावेंगे; किन्तु फिर भी इस प्रकार के मामलों में जब तक कोविड–19 का संक्रमण कम या उसका प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता अर्थात केन्द्र/राज्य सरकार के प्रतिबंध प्रभावशील रहते हैं, तब तक पक्षकारों को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए न्यायालयीन विशेष निर्देश के बिना बाध्य नहीं किया जावेगा। साथ ही ऐसे पक्षकारों के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट का आदेश नहीं दिया जा सकेगा, सिविल मामलों में प्रकरण एकपक्षीय अथवा निरस्त भी नहीं किया जा सकेगा।

(7) जहॉ किसी मामले में समन की तामीली आवश्यक हो तो ऐसी समन की तामीली सीआईएस साफ्टवेयर 3.2 के मैसेज फीचर के माध्यम से भी करायी जा सकेगी।

(8) विशेष न्यायाधीश (अजा./अजजा. (अ.नि.) अधिनियम) तथा प्रभारी अधिकारी नजारत के समन्वय से जिला मुख्यालय स्थापना पर तथा प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर कार्यरत् वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा कोविड–19 के संक्रमण को रोकने/नियंत्रित करने हेतु सैनेटाईजेशन, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखने, भीड़ को नियंत्रित रखने जैसे सभी सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करेंगे; जो कि केन्द्र/राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी किये गये हैं। सभी न्यायिक अधिकारीगण/कर्मचारीगण के स्वास्थ्य की जॉच भी यथाशीघ्र सुनिश्चित की जाए।

सही/-
(एल0डी0 बौरासी)
प्रधान जिला न्यायाधीश
पूर्व निमाड़, खंडवा (म0प्र0)

पृष्ठां.क्र0 1050/को.वा./2020 खण्डवा, दिनांक 01 जून, 2021

<u>प्रतिलिपि</u> :–

01. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. विशेष न्यायाधीश/परिवार न्यायालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/षष्ठम् सिविल जज वर्ग–1, खण्डवा/हरसूद/पुनासा, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सिविल जज वर्ग–2, खण्डवा एवं समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीशगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
03. समस्त अनुभाग प्रभारी, जिला न्यायालय खंडवा/सिविल न्यायालय तहसील हरसूद/पुनासा/मांधाता (ओंकारेश्वर),
04. कलेक्टर, जिला खण्डवा,
05. पुलिस अधीक्षक, जिला खण्डवा,
06. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, खण्डवा/हरसूद/पुनासा/मांधाता (ओंकारेश्वर),
07. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खण्डवा,
08. आयुक्त, नगर पालिका निगम, खण्डवा,
09. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, खण्डवा,
10. लोक अभियोजक/शासकीय अधिवक्ता, जिला न्यायालय, खण्डवा,
11. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, खण्डवा,
12. अधीक्षक, जिला जेल, खण्डवा,
13. प्रशासनिक/उप–प्रशासनिक अधिकारी/समस्त कर्मचारीगण जिला न्यायालय खण्डवा/सिविल न्यायालय हरसूद/पुनासा/मांधाता (ओंकारेश्वर),
14. प्रस्तुतकार, जिला न्यायालय, खण्डवा,

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला न्यायाधीश
पूर्व निमाड़, खंडवा (म0प्र0)

******